RE. PRIVILEGE MOTION NOTICE AGAINST THE HOME MINISTER

श्री सत्य पाल मलिक (उत्तर प्रदेश): प्रिविलेज मोशन का नोटिस, गृह मंत्री जी का जो सदन में बयान हुआ है, उस सिलसिले में मैं दे चुका हूं... (*Interruptions*) मैंने पहले भी सदन में निवेदन किया था। इस सदन में स्पीकर डाइरेक्शन जैसा कोई कायदा कानून नहीं है... (*Interruptions*) मेरी आपत्ति यह है कि जरूरत से ज्यादा समय आप गृह मंत्री जी को दे रहे हैं। आपने उनसे सफाई मांगी, आज तक 8 दिन हो चुके हैं उन्होंने सफाई नहीं दी। आज भी मैंने सभापति महोदय को उत्तर प्रदेश असेम्बली में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का जो बयान हुआ है वह दिया है, उसमें उन्होंने माना है कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की संभावना है। तो मेरा यही निवेदन है कि इस मसले पर उनको आप सफाई के लिए बार बार टाईम देते रहे हैं। यह बिल्कुल अनुचित है। मैं आपसे निवेदन करता हूं जो मेरा प्रिविलेज मोशन है चूंकि उन्होंने जानबूझकर सदन को गुमराह किया है, मेरे नोटिस के बाद जब सभापति जी ने उनके पास वह बात भेजी तब भी उन्होंने अपने बयान में कोई तबदीली नहीं की, न किसी तरह का खेद प्रकाशित किया। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे अपना नोटिस मूव करने की इजाजत दी जाय। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री उपसभापति: इस प्रश्न पर आपने जो बात कही सभापति जी विचार कर रहे हैं और उन्होंने जो आपने बयान दिया था और जो रिपोर्ट दी थी, वह गृह मंत्री जी के पास भेजी है। बताया गया है कि गृह मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस बारे में जानकारी हासिल की है और ज्यों ही उन्हें ये सूचनाएं प्राप्त हो जायेंगी, इस पर सभापति जी कोई निर्णय करेंगे... (*Interruptions*) इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर जबकोई निर्णय होगा... (*Interruption*) सभापति जी निर्णय कर लेंगे... (*Interruptions*)

श्री सत्यपाल मलिक: दिक्कत यह है कि आज से बागपत में न्यायिक जांच के लिए आयोग बैठाया गया है... (*Interruptions*)

श्री उपसभापति: सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at three minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at three minutes past two of the clock **Mr. Deputy Chairman** in the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Era Sezhiyan.

श्री सदाशिव बागाईतकर (महाराष्ट्र): उपसभापति जी, मैं एक मिनट में व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने जब सदन को मुल्तवी किया, उस समय मैं सवाल उठाने के लिए खड़ा था। हम इतनी तो उम्मीद जरूर करेंगे कि हम लोगों के लिए इतनी तो कर्टसी हो कि अगर हम खड़े हैं, तो आप हमारी बात सुन लें। जिस समय मैं खड़ा था, आपने मुल्तवी कर दिया।

श्री उपसभापति: मैंने नहीं देखा कि आप खड़े हैं।

श्री सदाशिव बागाईतकर: और आप सदन को मुल्तवी करके चले गये। तो हम क्या करें। व्यवस्था का मेरा प्रश्न यह है कि आपके सामने प्रिविलेज के

[श्री सदाशिव बागाईतकर]

बारे में, जो चेयरमैन के सामने था, वह आपने पढ़ कर सुनाया । जो रूल है उसका, मेरी समझ में यह है कि प्रिविलेज मोशन में एक किस्म की अर्जेन्सी होती है मंजूर करने की । उसकी तारीख तय करने में आप भले ही मंत्री जी से पूछे जो उनको अनुकूल समय हो। उसके लिए जो समय लगे, वह बात तो मैं समझता हूं। बुनियादी तौर पर बात यह है कि एक मामले पर जब आपके पास प्रिविलेज मोशन पहुंच गया है, तो एक हफ्ते तक आप . . . अब जब उसके बारे में पहुंच गया है, तो एक हफ्ते तक आप . . बारे में पुष्टी हो गई है, तो उसका फैसला भी आप नहीं करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करने की जो भी तारीख तय करनी है, तो इसलिए मुझे यह लग रहा है कि आप इसके लिए सोचें और इसकी व्यवस्था दे दें . . . कि क्या प्रिविलेज मोशन पर फैसला दें । रूल में उल्लेख नहीं होगा मैं मानता हूं लेकिन क्या उसमें अर्जेन्सी नहीं होती है । खास कर जिस विषय को उठाया गया है मैं समझता हूं उसके ऊपर बहुत जल्द फैसला आप को देना चाहिए वरना उसकी सारी गरिमा खत्म हो जाती है जो ठीक नहीं है।

श्री उपसभापति : एक तो पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि जब मैंने सदन स्थगित किया उस समय मैंने यह नहीं देखा कि आप कोई और पौइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहते हैं । जो बात उठाई गई है उस का उत्तर मैं दे चुका हूं । दूसरी बात, कि जो प्रिविलेज का प्रश्न उठाया गया है उस के लिए मैंने बताया है कि यह गृह मंत्री के पास जो भी सूचना माननीय सदस्य की तरफ से आई, भेज दी गई और उस का स्पष्टीकरण मांगा गया है। आप इस बात को अनुभव करेंगे कि वह राज्य सरकार से संबंध रखता है इसलिए वहां से आने में थोड़ी देर हो सकती है। मैं आशा करता हूं सभापति जी इसका शीघ्र निर्णय देंगे और मैंने प्रातःकाल भी यही कहा था।

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF PLANNING

SHRI ERA SEZHIYAN (Tamil Nadu): Sir, I am thankful for the opportunity given to me for initiating the discussion on the working of the Ministry of Planning. Planning is an important process by which we set out to attain the goals of social and economic justice through the national programme based upon scientific assessment of needs and resources. Planning has been there for about three decades in this country. It is high time that serious thought on the process of planning itself is bestowed. I feel that it is high time that some planning has to be done on planning itself.

One cannot deny significant achievements made by planning. Average life expectancy has gone up from 32 to 46 years. Smallpox has been eradicated. Epidemic diseases have been controlled. Enrolment in the elementary level of education has increased from 32 to 69 per cent and at secondary level it has gone up from 5 to 25 per cent.

Benefits have accrued, but the question is whether the benefits accrued due to planning have been equitably distributed. This morning there was a question about the poverty line and the statistics show that the percentage of those below the poverty line has been steadily increasing. Through the years of planning, the gap between the rich and the